न्यायालय कनीय न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

अधिकार वाद सं0– 10 / 2021

रामचन्द्र ठाकुर वगैरह.....वादीगण

बनाम्

परमेश्वर शर्मा उर्फ चुल्हो शर्मा वगैरह .....प्रतिवादीगण

आदेश

10.03.2025 अभिलेख आज प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक–21.10.2024 अन्तर्गत धारा 10 सी0 पी0 सी0 तथा वादीगण की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक–25.11.2024 पर उभय पक्षों के सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल आवेदन में निवेदन किया गया है कि प्रस्तुत वाद विवादित भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष के लिए दाखिल किया गया है। प्रतिवादीगण के द्वारा भी एक अधिकारवाद सं0–34 / 2021 श्रीमान् वरीय कोटि न्यायालय में दाखिल किया है जो अभी लंबित है तथा उस वाद में वादीगण प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बने हैं। उस वाद में भी वही पक्षकार हैं जो वर्तमान वाद में हैं तथा विषय–वस्तु भी एक ही है ऐसी स्थिति में उक्त वाद के निष्पादन होने तक वर्तमान वाद की कार्रवाई स्थगित रखा जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि वर्तमान वाद की कार्रवाई को स्थगित रखने की कृपा की जाय।

वादीगण की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर में निवेदन किया गया है कि प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल आवेदन विधि व तथ्य की दृष्टि से पोषणीय नहीं है एवं खारिज किये जाने योग्य है। वर्तमान वाद सं0–10 / 2021, दिनांक–22.01.2021 को दाखिल किया गया है तथा अधिकारवाद सं0–34 / 2021 उसके बहुत समय बाद दाखिल किया गया है। इसलिए अधिकारवाद सं0–10 / 2021 के निष्पादन तक अधिकारवाद सं0–34 / 2021 की कार्रवाई स्थगित किया जाना चाहिए न कि उसके विपरीत। इसलिए प्रतिवादी द्वारा धारा–10 सी0 पी0 सी0 के अन्तर्गत दाखिल आवेदन गलत आधार एवं निर्वचन पर आधारित है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी द्वारा दाखिल आवेदन भारी खर्च के साथ खारिज करने की कृपा की जाय।

उभयपक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रस्तुत वाद दिनांक–22.01.2021 को इस न्यायालय में दाखिल किया गया। जबकि प्रतिवादी की ओर से धारा 10 के अन्तर्गत जो आवेदन दाखिल किया गया है वह अधिकार वाद सं0–34 / 2021 को आधार बनाकर दाखिल किया गया है। धारा 10 सी0 पी0 सी0 का प्रावधान पश्चात् वाद पर लागू होता है न कि पूर्ववर्ती वाद पर। वर्तमान वाद का संख्या अधिकार वाद–10 / 2021 है जबकि विद्वान सब जज, पटोरी के न्यायालय में दाखिल अधिकारवाद सं0–34 / 2021 है। प्रतिवादी की ओर से उक्त वाद के दाखिल होने की तिथि का उल्लेख अपने आवेदन में नहीं किया गया है और न ही सुनवाई के क्रम में उपस्थापन की तिथि ही बताया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रस्तुत वाद पूर्ववर्ती वाद है तथा धारा 10 सी0 पी0 सी0 की परिधि से बाहर है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थिति में प्रतिवादी की ओर से दाखिल आवेदन पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

वाद दिनांक–**21.04.2025** वास्ते वादी साक्ष्य हेतु।

राजीव कुमार
कनीय न्यायाधीश,
शाहपुर पटोर